



लोक चेतना समिति

राज्यां परिवर्तन के लिए प्रतिक्रिया



परिवर्तन

जनवरी से मार्च 2024

राष्ट्रीय युवा दिवस: "संविधानिक राष्ट्र निर्माण में युवाओं का योगदान"

लोक चेतना समिति के केराकत, चौलापुर, काशी विद्यापीठ और चिरईगांव ब्लॉक के अलग-अलग स्कूलों एवं पंचायतों में राष्ट्रीय युवा दिवस पर संगोष्ठी एवं कार्यशाला का आयोजन "संविधानिक राष्ट्र निर्माण में युवाओं का योगदान" विषय पर किया गया। संविधान पर समझ बनाना कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य रहा। संविधान के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा करने के साथ स्वामी विवेकानन्द जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए वक्ताओं ने बताया कि स्वामी विवेकानन्द ने हर मनुष्य में ईश्वर का अंश देखा। उन्होंने मनुष्य को धर्म से ऊपर रखा और धर्म व जाति आधारित समाज की कठोर आलोचना की। भारतीय संविधान भी मनुष्य की गरिमा को सर्वोपरि मानता है और मनुष्य की

समानता में विश्वास करता है। युवाओं के राष्ट्र के प्रति योगदान पर समझ बनाते हुए कहा गया कि आप संविधान द्वारा मिले अधिकारों के लिए आवाज उठायें, गलत का विरोध करें, अपना लक्ष्य निर्धारित करें, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान करें ताकि संविधानिक मूल्यों के आधार पर समाज चले। कार्यक्रम के अंत में संविधान की उद्देशिका पढ़कर संकल्प लिया गया कि, "हम खुद में परिवर्तन लाएंगे, बुराइयों से स्वयं को बचाएंगे, और अच्छाइयों को अपनाएंगे।"

स्वयं सहायता समूह सम्मेलन

काशी विद्यापीठ, चिरईगांव, चौलापुर और केराकत में 8 क्लस्टर से जुड़े 82 समूहों के साथ समूह सम्मेलन किया गया। सम्मेलन में, पंचायत में समूह का असर, समूह सदस्यों की आत्मनिर्भरता, स्वरोजगार, पंचायत में महिलाओं का नेतृत्व, आर्थिक निर्भरता, आदि बिन्दुओं पर चर्चा हुई। समूह निर्माण का उद्देश्य महिलाओं को न केवल आर्थिक निर्भरता की ओर दिशा देना था बल्कि, परिवार एवं समाज में निर्णय लेने में उनकी अहम भूमिका हो, सामाजिक व राजनैतिक रूप से



सशक्त हो, स्वरोजगार और सामूहिक रोजगार कर अपनी क्रियाशीलता को बढ़ाएं, पंचायत में भी उनकी स्वयं की पहचान हो यह सोच थी। साथ-साथ, समूह से जुड़ी जो महिलाएं स्वरोजगार कर रही हैं उन्होंने अपने अनुभवों को लोगों के बीच साझा किया जिससे अन्य महिलाएं स्वरोजगार करने के लिए प्रेरित हुईं। कार्यक्रम में समूह की स्थिति का भी मूल्यांकन कर उनको अपनी भूमिका के अनुसार सम्मानित किया गया व समूह की ग्रेडिंग कर पिछड़े समूहों को आगे आने के लिए प्रेरित किया गया।

राष्ट्रीय बालिका दिवस

राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर संस्था के कार्य क्षेत्र में मुद्दे आधारित एक सप्ताह का अभियान चलाया गया। यह अभियान 19 से 24 जनवरी तक निम्नलिखित विषयों को लेकर चलाया गया: जीवन कौशल, डिजिटल लर्निंग, बाल विवाह, लिंग भेद-भाव, इंटरफेस विद रोल मॉडल, लड़कियों और महिलाओं से संबंधित कानूनों एवं पोक्सो एक्ट पर समझ बनाना। लड़कियों के साथ सामूहिक चर्चा, सभा, नाट्य के माध्यम से समझ बनाया गया। विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही महिलाओं को कार्यक्रम में रोल मॉडल के रूप में अपना अनुभव रखने का अवसर मिला जिससे अन्य महिलाएं और किशोरियाँ प्रेरित हों। इसका अच्छा परिणाम हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि आज के दिन हमारे देश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शपथ ली थी और इसी को प्रेरणा स्रोत मानकर राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत की गई। वर्तमान समय में बेटी पढ़ाओ-बेटी बचाओ अभियान भी इसी सोच के साथ चलाया जा रहा है। कार्यक्रम में किशोरियों को अपने विचार रखने का अवसर दिया गया। अभियान के समाप्ति के दिन सक्रियता से भाग लेने वाली और पूर्ण सहयोग करने वाली बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय मीडिया, प्रधान, सहायक विकास



अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, मुख्य सेविका, स्वास्थ्य कर्मी और अन्य संस्थाओं के लोगों के साथ 497 पुरुष, 1803 महिलाएं और 1529 बालिकाओं की भागीदारी थी।

नेतृत्वकर्ता महिलाओं का एक दिवसीय प्रशिक्षण

चोलापुर और केराकत के संगठन से जुड़ी नेतृत्वकर्ता महिलाओं का एक दिवसीय प्रशिक्षण, महिला अधिकार, पोक्सो कानून व्यवस्था, लिंग आधारित भेदभाव पर आयोजित किया गया। श्रीमति रंजू सिंह और श्रीमति पूनम दीक्षित ने मुख्य प्रशिक्षक की भूमिका निभाई। उन्होंने महिलाओं के साथ गुप्त चर्चा के माध्यम से विषय पर



उनकी पकड़ एवं समझ का आकलन किया। अधिकतर महिलाओं ने बताया कि कानून का नाम सुना है लेकिन विस्तृत जानकारी नहीं है। प्रशिक्षकों ने समझाया कि संविधान ने सभी को बराबरी का अधिकार दिया गया है जबकि हमारा समाज वह अधिकार नहीं दे रहा है और आज भी लिंग के आधार पर हर जाति व धर्म में भेद भाव है। परंपरागत समाज में

महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जा रहा है। वे घर और समाज दोनों जगह पर शोषण, अपमान और भेद-भाव से पीड़ित हैं। सैवेधानिक पद पर चुनकर आयी महिलाओं का काम, आज भी, उनके घर के पुरुष सदस्य ही करते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशिक्षकों ने महिलाओं के हित में बने बहुत सारे कानूनों की जानकारी दी, जैसे कन्या भ्रूण हत्या कानून, कार्य स्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, गर्भ का चिकित्सीय समापन, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम, आदि। कार्यक्रम में 65 सक्रिय महिलाओं की भागीदारी रही।

किशोरियों का एक दिवसीय आत्म विश्वास प्रशिक्षण



मुख्य कार्यालय चिरईगांव ब्लॉक के सभागार में किशोरियों का एक दिवसीय आत्म विश्वास प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत एक दूसरे के परिचय से किया गया। विषय प्रवेश और स्वागत रणजीत कुमार के द्वारा किया गया। इसके बाद मुख्य प्रशिक्षक पूनम जी के द्वारा बताया गया कि आत्म विश्वास क्या हैं? आत्म विश्वास मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्ति है। आत्मविश्वास से ही विचारों की स्वाधीनता प्राप्त होती है और इसके कारण ही महान कार्यों के सम्पादन में सरलता और सफलता मिलती है, इसी के द्वारा आत्मरक्षा होती है। आत्मविश्वास की पहचान है: सम्मान, दूरदर्शिता, ट्रैक रिकॉर्ड, खुलापन, प्रामाणिकता, निरंतरता और सरलता। उपस्थित किशोरियों के बीच गुप्त चर्चा के माध्यम से विषय पर कितनी समझ विकसित हुई, यह पोस्टर के द्वारा निकलवाया गया। कार्यक्रम में 32 किशोरियों की भागीदारी रही।

महात्मा गांधी शहादत दिवस

महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर “गांधी जी के सत्य और न्याय का मार्ग” पर संगोष्ठी का आयोजन चारों ब्लॉकों में किया गया। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर

पुष्टांजलि अर्पित करते हुए, मैंने धारण कर श्रद्धांजलि देते हुए, गांधी जी के प्रिय भजन “रघुपति राघव राजा राम...” से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तत्पश्चात वक्ताओं ने विषय पर चर्चा करते हुए कहा कि गांधी जी ने सत्य को ही ईश्वर माना और ईश्वर हर मनुष्य के अंदर है। इसलिए सभी मनुष्यों की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा है। सत्य



एक आदर्श है जिसे जीवन के हर पहलू में अपनाया जाना चाहिए। सत्य का अर्थ है ईमानदारी, न्याय, और निष्पक्षता है। गांधी जी मानते थे कि सत्य ही एकमात्र आधार है जिस पर कोई भी मजबूत समाज खड़ा हो सकता है और अहिंसा से ही दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। गांधी जी के न्याय के सिद्धांत पर चर्चा करते हुए समझ बनाई गई कि गांधी हर जाति, धर्म और लिंग के साथ न्याय की बात करते हैं। उनका मानना है कि जब तक सभी को बराबरी, समानता और स्वतंत्रता का अधिकार नहीं मिलेगी तब तक देश मजबूत नहीं हो सकता है इसलिए उन्होंने छुआछूत, अस्पृश्यता, धार्मिक और लैंगिक भेदभाव को समाप्त कर सभी के साथ समता और न्याय की बात की है। आज गांधी जी को सभी अपने राजनैतिक लाभ के लिए उपयोग कर रहे हैं पर उनके विचार और आदर्शों को अपना नहीं पा रहे हैं, जबकि गांधी जी को पूरा विश्व एक आदर्श के रूप में मानता है और यह भी स्वीकार करता है कि सत्य, अहिंसा, न्याय, भाईचारा से ही शांति आ सकती है।



महिला चेतना समिति खण्डस्तरीय बैठक

ब्लाक स्तर पर गठित महिला संगठन के साथ कार्यक्षेत्र के 4 ब्लाक में महिला चेतना समिति खण्डस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में ग्राम स्तर एवं ब्लॉक स्तर पर संगठन द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन के साथ महिलाओं से सम्बन्धित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गयी।



महिलाएं संगठन के सफल कार्यों का अनुभव साझा की, जैसे, गरथौली के एक आदमी ने कुछ महिलाओं को परेशान किया था। संगठन की पहल पर आरोपी को सजा दिलाया गया। बहादुरपुर की एक बस्ती में हैण्डपम्प के चारों तरफ पानी जमा होता है और समस्या का समाधान हेतु प्रस्ताव बनाकर प्रधान को दिया गया है। परानापुर में पानी निकासी के लिए प्रधान को प्रस्ताव दिया गया था। कुछ न होने पर संगठन की सभी महिलाएं आपस में चंदा इकट्ठा कर समस्या समाधान करने के लिए निर्णय ली हैं। गौरा



उपरवार में गाँव की विकलांग महिला के पति उसे छोड़ना चाहते थे लेकिन संगठन द्वारा पहल करके समाधान किया गया। धौरहरा और बर्थरा खुर्द की महिलाओं ने बताया कि शराब—बंदी के लिए थाने पर उन्होंने आवेदन दिया है। धौरहरा में मृत व्यक्ति के परिवार वालों की व गांव के एक गरीब व्यक्ति के इलाज के लिए चंदा इकट्ठा कर सहायता की है। महिलाओं की स्थिति व महिलाओं को मिले अधिकार की जानकारी दी गई। कुछ गांवों से महिला हिंसा से संबंधित घटनाएं भी सामने आईं। अपने गांव में महिला हिंसा की घटनाओं पर संगठन को क्या करना है और कैसे करना है इस पर समझ बनायी गयी। कार्यक्रम में 80 ग्राम पंचायत से 265 महिलाओं की भागीदारी रही।

लोक समिति के नेतृत्व में ब्लॉक स्तरीय वार्षिक बैठक



रतनपुर और औढ़े में लोक समिति के नेतृत्व में ब्लॉक स्तरीय वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में गत एक वर्ष में संगठन के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा गया कि संगठन द्वारा जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर काम किया जा रहा है। साथ ही साथ सामाजिक समरसता और दलित समावेशन का भी काम किया जा रहा है। समाज में कैसे सभी लोग मिल—जुल कर समाज परिवर्तन हेतु कार्य करें और सशक्त राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें, यही लोक समिति संगठन का कार्य है। समिति के माध्यम से सरकार द्वारा समाज विकास के लिए किए जा रहे कार्य को धरातल पर लागू करवाने का प्रयास करते हैं। संगठन इसके साथ ही संविधान द्वारा मिले अधिकार पर भी लोगों को जागरूक करने और अपने मौलिक कर्तव्यों को निभाने के लिए प्रेरित करता है।

समूह सम्मेलन आयोजन

क्लस्टर स्तर पर विभाजित समूहों के साथ चिरईगांव, चोलापुर और काशी विद्यापीठ में समूह सम्मेलन किया गया। समूह सम्मेलन में आई महिलाओं ने अपने—अपने समूह की सफलता व कमियों को बताया। स्वरोजगार पर चर्चा करते हुए महिलाओं ने बताया कि समूह से जुड़ने के बाद कुछ काम करने का अवसर मिला। महिलाएं कार्यक्रम की दुकान, राशन का कोटा, ब्यूटी पार्लर, जनरल स्टोर, आदि प्रयासों से परिवार में आर्थिक सहयोग कर रही हैं। ग्राम प्रधान से, बस्ती में और पंचायत में महिलाओं की पहचान हुई है। समूह की महिलाएं आपस में चंदा लगाकर आर्थिक रूप से कमज़ोर संगठन सदस्यों की मदद करती हैं। कार्यक्रम के अंत में अच्छे कार्य करने वाले समूहों को सम्मानित किया गया।



अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस: "समाज परिवर्तन में महिलाओं का नेतृत्व"

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में संस्था के कार्य क्षेत्र की सभी महिलाओं के साथ वृहद स्तर पर सम्मेलन का आयोजन 6 से 15 मार्च तक किया गया। "समाज परिवर्तन में महिलाओं का नेतृत्व" विषय को लेकर वाराणसी के चोलापुर, चिरईगांव, काशी विद्यापीठ तथा जौनपुर केराकत ब्लॉक में स्थानीय स्तर के सभी



ग्राम पंचायत से लगभग 3500 लोगों (महिलाएं एवं पुरुषों) के साथ 12 कार्यक्रम किये गये। कार्यक्रम में आए हुए वक्ताओं ने महिला नेतृत्व के कई पहलुओं पर बात की जैसे, संविधान में बराबरी का स्थान मिलने के बावजूद महिलाओं को आज भी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जबकि आज की नारी शक्ति अपने योगदान से समाज को दिखा रही है कि दुनिया की तरक्की में महिलाओं का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जिन महिलाओं को अवसर मिला है, वे सभी क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं। सावित्री बाई फूले जैसे सामाजिक सुधारकों ने किस तरीके से तमाम विरोधों को झेलते हुए महिला उत्थान के लिए काम किया है, यह पूरे देश की महिलाओं के लिए बड़ा उदाहरण है।

कुछ वक्ताओं ने जोर देकर कहा है कि महिलाओं को आज के दिन यह संकल्प लेना चाहिए कि उन्हें जो अधिकार संविधान द्वारा मिला है उसका लाभ उठाएंगे और पंचायत, देश व समाज के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। महिला नेतृत्व व भागीदारी से ही समाज में परिवर्तन आएगा। परिवर्तन अपने से नहीं आएगा



मगर उसे लाना पड़ेगा। महिलाओं को पंचायत में भी अपनी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित कर पंचायत विकास में अपना योगदान देते रहना है। कार्यक्रम में पंचायत में नेतृत्व ले रही महिलाओं द्वारा विभिन्न संगठनों के माध्यम से ग्राम विकास, महिला हिंसा, किशोरी शिक्षा, एवं मनरेगा में किए गए प्रयासों और उनमें मिली सफलता और असफलता को लोगों के बीच नाटक, गीत तथा भाषण के माध्यम से रखा गया। कार्यक्रम का संचालन और व्यवस्था सम्बन्धित सभी कार्य महिला चेतना समिति के बहनों की नेतृत्व में किया गया।

मनरेगा खंड स्तरीय बैठक



मनरेगा खंड स्तरीय बैठक का आयोजन लोक चेतना समिति कार्यालय औढ़े, चिरईगांव, केराकत तथा चोलापुर में किया गया। बैठक में पंचायत स्तर पर मनरेगा की स्थिति का मूल्यांकन, काम, भुगतान की स्थिति, संगठन की भूमिका, पदाधिकारियों के कार्य, खाद्य सुरक्षा की स्थिति, श्रम विभाग पंजीयन, रिनुवल, योजना की जानकारी, वर्तमान परिस्थिति में बेरोजगारी, महंगाई, आदि पर चर्चा कर समझ बनाया गया। यह तय हुआ कि आने वाले महीनों में ब्लॉक पर जाकर मनरेगा काम, एन.पी.सी.आई व अन्य पंचायत संबंधी कार्य को सूची बद्ध कर आवेदन देने से पूर्व पंचायत स्तर पर बैठक कर मनरेगा, खाद्य सुरक्षा व पंचायत संबंधी समस्या को सूची बद्ध कर आवेदन पत्र तैयार करेंगे। कार्यक्रम में उपस्थित मनरेगा

पदाधिकारीयों ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एन.पी.सी.आई) के ऊपर समझ बनाते हुए बताया की सभी मजदूरों को अपने—अपने खातों को आधार और पैन कार्ड से लिंक करवाना है, जिससे किसी भी सुविधा को पा सकें। मजदूर काफी निराश दिखे क्योंकि उनको वर्तमान समय में मनरेगा में काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। मनरेगा मजदूर दूसरा काम तलाश रहे हैं लेकिन काम मिलना मुश्किल है। बेरोजगारी के कारण घर चलाना मुश्किल हो गया है। बहुत लोगों को आवेदन देने पर भी काम नहीं मिल रहा है व समय पर भुगतान नहीं होता है। मजदूरों का कहना है कि मनरेगा अधिनियम के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है। मनरेगा कानून बना था तो मजदूरों को एक उम्मीद थी कि गांव में रहकर कम से कम रोजगार मिल जायेगा। लेकिन वर्तमान समय में मनरेगा मजदूरों को एक वर्ष में 30 से 40 दिन काम मिला और काम का भुगतान भी समय से नहीं हो रहा है।

जेंडर बराबरी व न्याय पर एक दिवसीय कार्यशाला

महिला चेतना समिति के नेतृत्व में लोक चेतना समिति के सहयोग से काशी विद्यापीठ के कार्यालय, औढ़ में जेंडर समानता, बराबरी और न्याय पर एक

दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। सबके मन में एक सवाल था, जैसे, संविधान में कहीं भेदभाव नहीं है, तमाम महिला अधिकार संबंधित कानून भी बनें हैं लेकिन आज भी भेद-भाव बरकरार है। इससे मुक्त होने के लिए महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक,

राजनीतिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। संपत्ति में अधिकार और समानता का अधिकार और राजनीति में भागीदारी हेतु आरक्षण का भरपूर लाभ लेना है। इस पर भी समझ बनाया गया की प्रति की दी हुई चीज को बदला नहीं जा सकता है, जैसे महिला एवं पुरुष। लेकिन बाकी जितनी भी चीजें हैं, सब इंसान और समाज ने बनाया है। हम इसे बदल सकते हैं। इसलिए महिलाओं को इन सब बातों पर विचार कर अपने लिए जेंडर समानता के लिए आवाज उठानी होगी और जहां भी जेंडर आधारित हिंसा, भेद-भाव हो रहा है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी।



22-Mar-2024 11:17:07 pm
Raibhawan
Karanpur Division
Uttar Pradesh





-:- सम्पर्क :-

लोक चेतना समिति

चिरईगाँव छलाक मुख्यालय के पास
पो.- बरियासनपुर, वाराणसी - 221112
फोन - 0542 2616289, मो. 9450249555,

आर्थिक सहयोग के लिए जानकारी

Name - Lok Chetana Samiti
Bank - SBI, Sarnath
Account Number - 10255120233
IFSC - SBIN0004560



loksamiti@yahoo.co.in



<https://www.facebook.com/public/Lok-Chetana-Samiti-Varanasi>



[www.lcsvns.org](http://lcsvns.org/)



<http://lcsvns.org/>